रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 1981/माघ 16, 1902
No 38] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 1981/MAGHA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली 5 फरवरी, 1981

सार्वजनिक सूचना सं० 15-ई०टी० सी० (पी०एन०) /81

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : 1980-81 के दौरान मटन (भेड़ के मांस) के निर्यात के सम्बन्ध में नीति।

मिसिल सं० 1/1/80 ई-1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश ई० (सी) ओ, 1977/ए०एम (183) और सार्वजनिक सूचना सं० 70-ई०टी० सी० (पी०एन) /80 दोनों दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. जबकि मटन (भेड़ का मांस) का निर्यात मासिक रिहाई के आधार पर सीमित उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर 16 रुपये प्रति कि० ग्रा० जहाज पर्यन्त निशुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन अनुमेय है अब उच्चतम सीमा ताजा मांस और जीवित पशु निर्यात संघ, बम्बई, दिल्ली के अधिकार में और गुजरात निर्यात निगम अहमदाबाद और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ, जयपुर के अधिकार में भी होगा। कोटे का निर्धारण पोतपरिवहन बिलों/वायुमार्ग बिलों पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा। माल की सड़ने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पृष्ठांकन अधिक से अधिक 72 घंटों की अवधि के लिए वैध होगा। मटन के निर्यात का विनियमन घरेलू मंडियों में इस माल की उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित कंडिका में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जाएगा।

3. उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए निर्यात नीति 1980-81 के नीति विवरण में क्रम संख्या 6 के सामने प्रदर्शित विद्यमान प्रविष्टि 6(क) के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी और निम्नलिखित को 6(ख) के रूप में जोड़ा जाएगा—

(1)	(2)	(3)
6 (ख)	भारतीय भेड़ का मांस जिस में दिल जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुर्दे और अन्य अंग शामिल हैं।	भारतीय भेड़ों के मांस के निर्यात की अनुमति—मासिक आधार पर रिहा की गई सीमित उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर 16 रु० प्रति किलो ग्राम जहाज पर्यन्त निशुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत पर पोत परिवहन बिल/वायुमार्ग बिल प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी.— (i) केवल भेड़ के मांस के निर्यात की की अनुमति दी जाएगी। (ii) निर्यात एकदम बिक्री के आधार पर होगा और माल प्रेषण निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। (iii) कोटे का आवंटन लदान बिल/वायुयान बिल जो कि अधिक से अधिक 72 घंटों के लिए वैध होंगे उन पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा। (iv) उच्चतम निर्धारित सीमा का निपटान ताजा मांस तथा जीवित पशु निर्यातक संघ बम्बई और दिल्ली और गुजरात निर्यात निगम अहमदा-

1	2	3
		बाद और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ जयपुर के अधिकार मे होगा। कोटे के नियमन के लिए ये अभिकरण निम्नलिखित मार्गदर्शनों का पालन करेंगे :—
		(क) मनोनीत अभिकरणों को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि निर्यात दैनिक घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद ही स्थानीय मंडियों से वध के लिए जीवित भेड़ खरीदेगा। यदि किसी भी विशेष दिन कुल भेड़ इस आवश्यकता से कम पहुंचती हैं तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए।
		(ख) यदि उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हो तो निर्यातक मार्किट में वध के लिए भेड़ की खरीद के लिए उस समय जाएगा जबकि देशी आवश्यकताओं के लिए खरीद पूर्ण कर ली गई हो इसका यह अर्थ हुआ कि दिल्ली के मामले में निर्यातक मंडी में सुबह 11.30 बजे के बाद ही जाएगा। इसी प्रकार वे बूचड़खाने का उपयोग भी बूचड़खाने में घरेलू आवश्यकताओं के लिए पशु वध की पूर्ति के बाद ही करेंगे।
		(ग) व्यक्तिगत निर्यातकों को संघ द्वारा आवंटन पहले आए से पहले पाए के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में 1980-81 की निर्यात नीति की कंडिका 14 में की गई व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी।
		(घ) अधिक मांस के शीघ्र सड़ने की प्रकृति होने के कारण और चूंकि मासिक उच्चतम सीमा को भी पूरा करना पड़ेगा इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए कोटे के आवंटन की वैधता केवल 72 घंटे होगी।
		(ङ) यदि दिल्ली या बंम्बई में मासिक कोटा अप्रयुक्त पड़ा रह जाए तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह इसे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में हस्तांतरित कर दे किन्तु उसे इस बात का सुनिश्चय करना होगा कि एक केन्द्र से कुल निर्यात इतना न किया जाए जिससे कि कीमतों पर प्रभाव पड़े।
		(च) मनोनीत अभिकरण आगामी मास की सात तारीख तक पिछले मास के दौरान किए गए निर्यातों के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय को भेजेगा।
		(5) ताजा मांस और जीवित पशु निर्यातक संघ द्वारा किए गए कोटे के आवंटन के आधार पर निर्यात की स्वीकृति सीधे ही सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी गुजरात निर्यात निगम और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ के मामलों में निर्यात उनके अपने विभाग से किया जायेगा।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 5th February, 1981

Public Notice No. 15/-ETC (PN)/81

EXPORT TRADE CONTROL

Sub-Export of Mutton (sheep meat) during 1980-81 policy regarding.

F. No. 1/1/80-EI.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O. 1977/AM(183) and Public Notice No. 70-ETC (PN)/80, both dated 25th October, 1980, on the above subject.

2. While export of Mutton (sheep meat) is allowed for exports within a limited ceiling released on monthly basis, subject to Minimum Export Price of Rs. 16 per Kg. f.o.b., the ceiling will now be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association at Bombay and Delhi, and also at the disposal of Gujarat Export Corporation, Ahmedabad, and the Rajasthan State Sheep and Wool Marke ing Federation, Jaipur. The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airway Bills. The endorsement will be valid for a maximum period of 72 hours in view of the perishable nature of the commodity. The export of Mutton (sheep meat) shall be regulated according to the availability of this commodity within the domestic mandis, subject to the conditions indicated in the following Paragra ph :

3. In view of the above, the existing entry appearing in Policy Statement of Export Policy April 1980—March 1981 against S.

No. 6 shall be re-numbered as 6(a) and the following shall be added as 6(b) :

1	2	3
6(b)	Meat of Indian sheep—including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.	Export of Meat of Indian sheep will be allowed subject to MEP of Rs. 16/- per kg. f.o.b. within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of Shipping Bills/ Airway Bills, subject to the following conditions : (i) Export of sheep Meat only will be allowed. (ii) Export will be on outright sale basis and no consignment export shall be allowed. (iii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/ Airway Bills valid for a maximum period of 72 hours. (iv) The closing will be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association at Bombay and Delhi and also Gujarat Export Corporation, Ahmedabad and Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, Jaipur. The following guidelines will be followed by these agencies in regulating the quota: (a) The designated agencies should ensure that exporters purchase live sheep for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met. If the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made. (b) In case the condition at(a) above is met, exporters will enter the market for purchase of sheep for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. In case of Delhi, this would mean the exporters will enter the mandi only after 11.30 A.M. Similarly, they will use the slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done. (c) Allocation to individual exporters by the Associatio should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of Para 14 of Export Policy 1980–81 will not apply in this case. (d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceilings will have to be met, the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only. (e) In case the monthly quota remains unutilised in either Delhi or Bombay the Association will be empowered to transfer it from one centre to another ensuring that the total Export from one centre do not increase to the extent that prices are upset. (f) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of exports made during the preceding month. (v) The export will be allowed by the customs authorities directly on the basis of quota allocation made by Fresh Meat and Live Stocks Exporters' Association. In the case of the Gujarat Export Corporation and Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, Exports will be done on their own account.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1981